कार्यालय दरभंगा नगर निगम, दरभंगा

पत्रांक- 3851 दिनांक - 24.12.24

प्रेषक :-

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।

सेवा में,

श्री / श्रीमती चित्तरंजन सिन्हा "CHITRANJAN SINHA"
पिता / पति स्व० चन्द्र शेखर सिन्हा "LATE CHANDRA SHEKHAR SINHA"
ग्राम+मुहल्ला गुल्लीबाड़ा पो०- लालबाग "GULLOBARA P.O-LALBAGH"
वार्ड सं0- 10 थाना नगर दरभंगा।

विषय :- प्लान केश संख्या- 133/2024-2025 20 24 भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा मुहल्ला- गुल्लीबाड़ा वार्ड सं0- 10 खाता- खेसरा- 12236, 12245, 12246, 12247, 12248, 12249, 12252, 12235, 12243, 12244 बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007, बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका 315,316,317,414 एवं 419 एवं बिहार भवन (सशोधन) उपविधि, 2022 के अन्तर्गत निम्न शर्त्त पर आवासीय 1515.06 वर्गमीटर (B+G+4) भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम बिल्डिंग बायोलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वंय आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय-समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण-पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था संलग्न नक्शा के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शे का एक प्रति कार्य स्थल पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय-समय पर उसका जांच किया जा सकें।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में बिहार भवन उपविधि 2014 एवं बिहार भवन (संशोधन) उपविधि 2022 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता हैं यह स्वीकृति अगले पाँच वर्ष के लिये वैद्य होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा